

कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(मध्य कमान), करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी-226002
Office of the Principal Controller of Defence Accounts (Central Command)
1, Cariappa Road, Lucknow Cantt - 226002

सं. : सं. एवं प./2901/आं.प्र./2016-17

दिनांक: 19/12/2016

सेवा में

प्रभारी अधिकारी ,

- | | |
|---|--------------------------------------|
| (1) स्था. ले. अ. (भंडार) , COD छयोकी ईलाहाबाद | (2) वे.ले.का. सैन्य चिकित्सा दल लखनऊ |
| (3) स्थानीय लेखापरिक्षा अधिकारी(अ) झाँसी | (4) वे.ले.का. आर.आर.सी. फतेहगढ़ |
| (5) वे.ले.का. एस.एल.आई. फतेहगढ़ | (6)समबन्धित अनुभाग, मुख्य कार्यालय |

विषय: आन्तरिक प्रशिक्षण : नवनियुक्त MTS के लिए प्रवेश पाठ्यक्रम

निम्नलिखित कर्मचारियों को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार दिनांक 02/01/2017 से 13/01/2017 तक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया गया है:

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमति/कुमारी)	लेखा सं.	पदनाम	कार्यालय
1.	विनय कुमार उपाध्याय	8347649	MTS	मुख्य कार्यालय लखनऊ
2.	पूनम	8341711	MTS	मुख्य कार्यालय लखनऊ
3.	असलम अली	8341713	MTS	स्था. ले. अ. (भंडार) , COD छयोकी ईलाहाबाद
4.	दीपीका गुप्ता	8341717	MTS	वे.ले.का. सैन्य चिकित्सा दल लखनऊ
5.	इकबाल खान	8341720	MTS	स्थानीय लेखापरिक्षा अधिकारी(अ) झाँसी
6.	अनुज कुमार तिवारी	8341725	MTS	मुख्य कार्यालय लखनऊ
7.	राघवेन्द्र सिंह	8341729	MTS	मुख्य कार्यालय लखनऊ
8.	रामू	8341737	MTS	मुख्य कार्यालय लखनऊ
9.	धर्मेन्द्र कुमार	8341743	MTS	मुख्य कार्यालय लखनऊ
10.	सागर कुमार	8341824	MTS	वे.ले.का. एस.एल.आई. फतेहगढ़
11.	सुमन लता कश्यप	8341825	MTS	वे.ले.का. आर.आर.सी. फतेहगढ़


2. सक्षम प्राधिकारी के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण से छूट या अनुपस्थिति के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. कर्मचारियों को अपने कार्यालय से कार्य मुक्त करके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए निर्देशित किया जाए।
4. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता वर्तमान नियम के अनुसार स्वीकार्य है।


व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)

प्रतिलिपि:

- (1) प्रशासन 1 अ अनुभाग : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
✓ (2) स्वचलन कक्ष : कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
(3) क्षे. प्र. के. लखनऊ : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।


व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)